RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC - LIGNITE
Khanij Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Phone: 0141-2227938, 2227710, 2227715 Fax: 0141-2227360, 2227761
E-mail: jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in Web: www.rsmm.com
Registered Office : C-89-90, Jan Path, Lal Kothi Scheme, Jaipur
CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

ई–निविदा संख्याः एफ.6(1)81 / CC / 2026 / 36 दिनांकः 21.07.2026

एस.बी.यू. एवं पी.सी.–लिग्नाईट, जयपुर कार्यालय में कम्प्यूटर में डाटा फीडिंग का कार्य करने हेतु उच्च कुशल प्रकृति के श्रमिकों की आवश्यकता हेतु ई–निविदा प्रपत्र

द्वारा

समूह महाप्रबन्धक (लिग्नाईट),
आर.एस.एम.एम. लिमिटेड, एसबीयू एवं पीसी–लिग्नाईट,
खनिज भवन, जयपुर (राज.)

Period of online availability of Tender Document.	From 21.07.2026 to 05.08.2026 upto 1:00 P.M.
Last date and time of uploading the documents and submission of bid online.	05.08.2026 upto 3:00 P.M.
Last date of physical deposition of EMD, Cost of Tender Document, Processing fees and requisite original Documents/Affidavits etc. with duly filled TD.	05.08.2026 upto 5:00 P.M.
Online opening of Bid (Part-I).	On 06.08.2026 at 11:00 A.M.

रजिस्टर्ड ऑफिस : सी–89–90, जनपथ, लाल कोठी स्कीम, जयपुर–302 015 (राज.) फोन : 0141–2743734 फैक्स : 0141–2743735	कॉर्पोरेट ऑफिस : 4, मीरा मार्ग, उदयपुर–313 001 (राज.) फोन : (0294) 2527211, 2428763–67 फैक्स : (0294) 2428770, 2428739 (CIN No. U14109RJ1949SGC000505)	एसबीयू एवं पीसी – लिग्नाईट खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर –302 005 (राज.) फोन : 0141–2227949, 2227627 फैक्स : 0141–2227761

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू–पीसी लिग्नाईट

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

फोन: 0141-2227938, 2227947 फैक्स: 0141-2227360, 2227761

ई–मेल: rsmmljpr@bsnl.in, jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in, **वैब:** www.rsmm.com

रजिस्टर्ड ऑफिस : सी-89-90, जन पथ, लाल कोठी स्कीम, जयपुर (राज.)

CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AACR7857H1Z0

ई–निविदा संख्याः एफ.6(1)81 / CC / 2026 / 36 दिनांकः 21.07.2026

विस्तृत ई–निविदा सूचना

कम्पनी के एसबीयू एवं पीसी–लिग्नाईट, जयपुर कार्यालय में अनुबन्ध के आधार पर कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्ष उच्च कुशल श्रेणी के श्रमिकों की सेवायें उपलब्ध करवाने के इच्छुक विर्निदिष्टित बोलीदाताओं / संवेदकों, जो कि राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.), आयकर (पेन नम्बर) तथा राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हों, से, वार्षिक / मासिक दर जो कि राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम, 11 वर्ष, 1948) द्वारा अधिसूचित हैं पर कार्य करने के लिये ऑन–लाईन प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र विक्रय एवं प्रस्तुत करने की समयावधि
कम्पनी के जयपुर स्थित कार्यालय में कम्प्यूटर पर कार्य करने हेतु उच्च कुशल श्रेणी के श्रमिकों की आवश्यकता (संख्या लगभग 13) ।	रूपये 34.00 लाख	रूपये 68,000 / –	**21.07.2026** से **05.08.2026** सांय 5:00 बजे तक

Cost of tender document is **Rs.1180/-** (Inclusive of GST) by Demand Draft/Pay Order/Banker's Cheque, in favour of "RSMM Ltd." payable at Jaipur.	
Processing Fee.	Rs. 500/- payable by D.D. in favour of M.D., RISL, payable at Jaipur.
Period of online availability of TD.	From 21.07.2026 to 05.08.2026 upto 01:00 PM
Last date and time of uploading the documents and submission of bid online.	05.08.2026 upto 3:00 PM
Last date of physical deposition of EMD, Cost of TD, Processing fees and requisite original Documents/ Affidavits etc. with duly filled TD.	05.08.2026 upto 5:00 PM
Online opening of Bid (Part-I).	06.08.2026 at 11:00 AM

निविदाओं को निम्न योग्यताओं के आधार पर आगे की प्रकिया के लिए प्रि–क्वालिफाइड किया जावेगाः

1. निविदाकर्ता को राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.), आयकर (पेन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत तथा इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
   "बोलीदात्ता (Bidder) के द्वारा निविदा प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध नियम, 1970/ संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है।बोलीदाता द्वारा पंजीकरण प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन–पत्र (Untertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।
   नोट :– सफल बोलीदाता को यह शपथ–पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि निविदा अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबन्धित अधिनियम एवं श्रमिक. अनुबनध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो तदनुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण–पत्र की प्रति संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवाई जा सकेगी।"

2. निविदाकर्ता के पास कम से कम रुपये 17,00,000/– का कारोबार तीन वित्तीय वर्ष क्रमशः 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 में से किसी एक वर्ष में स्वयं के नाम से होना आवश्यक है। टर्न ओवर के पक्ष में चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित दस्तावेज (with 18 digit UDIN) (बेलेन्स शीट, टीडीएस सर्टिफिकेट, इन्कम टैक्स रिटर्न इत्यादि) संलग्न करना आवश्यक है।

3. निविदाकर्ता के पास समान प्रकृति के उच्च कुशल श्रेणी के श्रमिक उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित कार्य का अनुभव होना आवश्यक है, इस सम्बन्ध में कम से कम रुपये 08,50,000/– (आठ लाख **पच्चास हजार** मात्र) राशि का एक सम्पादित कार्य प्रमाण–पत्र गत तीन वित्तीय वर्ष क्रमशः 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 में से किसी एक वर्ष में स्वयं के नाम होना आवश्यक है।

4. जो निविदाकर्ता/व्यवसायी/वास्तविक अधिकारी/संस्थान का साझेदार/किसी सहकारी समिति का सदस्य/संस्थान का कोई निदेशक जो कि आर.एस.एम.एम.एल. का लिग्नाईट खरीददार या खरीददार का मध्यस्थ/सम्पर्क अधिकारी/आर.एस.एम.एम.एल. के लिग्नाईट का परिवहन प्रतिनिधि हो तो ऐसे निविदाकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार की निविदा प्राप्त होने पर वे निरस्त कर दी जायेंगी ।

5. जिन निविदाकर्ताओं को कम्पनी द्वारा पूर्व में किसी भी कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया गया हो उसके पश्चात् यदि उसे निविदाकर्ता ने स्वीकार नहीं किया हो या कार्य बीच में छोड़ दिया हो या निविदाकर्ता की गलती की वजह से कार्यादेश कम्पनी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो तो ऐसे निविदाकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे तथा **कम्पनी द्वारा/अन्य सरकारी विभागों द्वारा** प्रतिबन्धित किये गये निविदाकर्ता भी इस निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे जितने समय के लिये उन्हें प्रतिबन्धित किया गया है ।

6. ई–निविदाकर्ता अपनी निविदा **दिनांक 05.08.2026** को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में **सांय 05:00** बजे तक प्रस्तुत करेगा तथा निश्चित समय एवं तिथि पर उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष ई–निविदा का प्रथम भाग (तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव) खोला जाएगा, तथा सफल निविदाकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाकर ऐसे सूचीबद्ध निविदाकर्ताओं का ही द्वितीय भाग (दर प्रस्ताव) बाद में खोला जाएगा उसकी सूचना सफल निविदाकर्ताओ को भिजवायी जावेगी ।

7. ई–निविदा के बारे में विस्तृत जानकारी ई–निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है जो कि www.rsmm.com, eproc.rajasthan.gov.in तथा sppp.rajasthan.nic.in पर उपलब्ध है । इस हेतु कार्यालय समयावधि में किसी भी कार्यदिवस को उप समूहमहाप्रबन्धक (लिग्नाईट) से भी सम्पर्क किया जा सकता है ।

8. बयाना राशि निविदा प्रस्ताव के साथ जमा करानी होगी ।

9. उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी, किसी भी प्रकार से निविदा प्राप्ति में देरी अथवा विलम्ब के बारे में दावा मान्य नहीं होगा । कम्पनी के पास बिना कोई कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

समूह महाप्रबन्धक (लिग्नाईट)

नोट : निविदाकार को सलाह दी जाती है कि निविदा में किसी भी शुद्धीपत्र/परिशिष्ट के लिए निविदा की देय तिथि तक हमारी वेबसाईट देखें ।

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC - LIGNITE
Khanij Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Phone: 0141-2227938, 2227710, 2227715 Fax: 0141-2227360, 2227761
E-mail: jaipur.rsmml@rajasthan.gov.in Web: www.rsmm.com
Registered Office : C-89-90, Jan Path, Lal Kothi Scheme, Jaipur
CIN No. U14109RJ1949SGC000505, GSTIN: 08AAACR7857H1Z0

ई–निविदा संख्याः एफ.6(1)81 / CC / 2026 / 36 दिनांकः 21.07.2026

ई–निविदा प्रपत्र के नियम एवं शर्तें

1.0 **कार्य एवं कार्य क्षेत्र :–**

1.1 एस.बी.यू. एवं पी.सी.–लिग्नाईट, जयपुर स्थित कार्यालय, में डाटा फीडिंग का कार्य करने हेतु उच्च कुशल प्रकृति के श्रमिक (कामगार) उपलब्ध कराने हेतु ऑन–लाईन निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं ।

1.2 राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, एस.बी.यू. एवं पी.सी.–लिग्नाईट कार्यालय जो कि खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज.) में स्थित है, कार्यालय समय में कम्प्यूटर्स पर कार्य करने हेतु उच्च कुशल श्रेणी के श्रमिकों (कामगारों) की आवश्यकता है जो किं कार्यालय में स्थित कम्प्यूटर पर डाटा फीडिंग का कार्य करेंगे।

2.0 **कार्य अवधि :–**

कार्य आदेश जारी करने की तिथि से या निर्धारित तिथि से **दो (02) वर्ष** के लिए होगा । कार्य अवधि समाप्त होने के पश्चात ट्रान्सपरेन्सी एक्ट के तहत कार्य की अवधि एवं उच्च कुशल श्रेणी के श्रमिकों की संख्या को बढाया जा सकता है, जिसका अधिकार आर.एस.एम.एम.एल. के पास होगा।

3.0 **निविदा दरों की मान्यता :–**

निविदा की दरें निविदा खोलने की तिथि से 120 दिन तक मान्य होंगी **एवं राज्य सरकार द्वारा दरों में परिवर्तन के संबंध में जारी संशोधन भी इस हेतु लागू होंगे ।**

4.0 **पात्रता :–**

4.1 इच्छुक विर्निदिष्टित बोलीदाताओं / संवेदक को राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.), आयकर (पेन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत तथा इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है।

"बोलीदात्ता *(Bidder)* के द्वारा निविदा प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध नियम, 1970/ संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है।बोलीदाता द्वारा पंजीकरण प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन–पत्र (Untertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।

नोट :– सफल बोलीदाता को यह शपथ–पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि निविदा अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबन्धित अधिनियम एवं श्रमिक. अनुबनध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो तदनुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण–पत्र की प्रति संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवाई जा सकेगी।"

4.2 निविदाकर्ता के पास कम से कम रुपये 17,00,000/– का कारोबार तीन वित्तीय वर्ष क्रमशः 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 में से किसी एक वर्ष में स्वयं के नाम से होना आवश्यक है। टर्न ओवर के पक्ष में चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित दस्तावेज (with 18 digit UDIN) (बेलेन्स शीट, टीडीएस सर्टिफिकेट, इन्कम टैक्स रिटर्न इत्यादि) संलग्न करना आवश्यक है।

4.3 निविदाकर्ता के पास समान प्रकृति के उच्च कुशल श्रेणी के श्रमिक उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित कार्य का अनुभव होना आवश्यक है, इस सम्बन्ध में कम से कम रुपये 08,50,000/– (आठ लाख पच्चास हजार मात्र) राशि का एक सम्पादित कार्य प्रमाण–पत्र गत तीन वित्तीय वर्ष क्रमशः 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 में से किसी एक वर्ष में स्वयं के नाम होना आवश्यक है।

4.4 जो निविदाकर्ता/व्यवसायी/वास्तविक अधिकारी/संस्थान का साझेदार/किसी सहकारी समिति का सदस्य/ संस्थान का कोई निदेशक जो कि आर.एस.एम.एम.एल. का लिग्नाईट खरीददार या खरीददार का मध्यस्थ/सम्पर्क अधिकारी/आर.एस.एम.एम.एल. के लिग्नाईट का परिवहन प्रतिनिधि हो तो ऐसे निविदाकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार की निविदा प्राप्त होने पर वे निरस्त कर दी जायेंगी ।

4.5 जिन निविदाकर्ताओं को कम्पनी द्वारा पूर्व में किसी भी कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया गया हो उसके पश्चात् यदि उसे निविदाकर्ता ने स्वीकार नहीं किया हो या कार्य बीच में छोड़ दिया हो या निविदाकर्ता की गलती की वजह से कार्यादेश कम्पनी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो तो ऐसे निविदाकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे तथा कम्पनी द्वारा/अन्य सरकारी विभागों द्वारा प्रतिबन्धित किये गये निविदाकर्ता भी इस निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे जितने समय के लिये उन्हें प्रतिबन्धित किया गया है ।

5.0 **बयाना राशि (बोली प्रतिभूति**) :–

5.1 निविदा प्रपत्र के साथ निविदा सूचना अनुसार निर्धारित बयाना राशि रूपये 68,000/– निविदा प्रस्ताव के साथ जमा करानी होगी ।

5.2 उपरोक्त के अलावा निविदाकर्ता द्वारा ई–पेमेन्ट द्वारा बयाना राशि का भुगतान भी किया जा सकता है जिसके लिये आरएसएमएम लिमिटेड के बैंक खाते इत्यादि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Name of Bank	**ICICI Bank**
Bank Location	Khanij Bhawan, Tilak Marg,Jaipur
Type of Account	C.D.
C.D. Account No.	**678605000722**
IFSC Code	**ICIC 0006786**

निविदाकर्ता को उपरोक्त बयाना राशि अन्तिम तिथि से पूर्व जमा करवाना होगा एवं इस हेतु बैंक के संबंधित रेफरेन्स आईडी नम्बर की प्रति ई–निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा ।

5.3 बिना बयाना राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।

5.4 बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

5.5 असफल निविदाकर्ता की बयाना राशि सफल निविदाकर्ता को कार्य का आदेश दिये जाने एवं

उसके द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात लौटा दी जाएगी ।

5.6 सफल निविदाकर्ता की बयाना राशि को धरोहर राशि में समायोजित किया जा सकेगा ।

5.7 अगर सफल निविदाकर्ता कार्यादेश जारी करने के पश्चात् पन्द्रह दिनों में कार्यारम्भ नही करता है तो बयाना या अन्य जमा राशि जब्त कर ली जाएगी व कार्यादेश निरस्त किये जाने का अधिकार कम्पनी को होगा । ऐसे संविदाकार भविष्य में कम्पनी की किसी निविदा में भाग नहीं ले सकेगें ।

5.8 निविदाकर्ता द्वारा जमा बयाना राशि निम्न परिस्थितियों में कम्पनी द्वारा जब्त की जा सकती हैः–

i) यदि निविदाकर्ता निविदा देने के पश्चात वैद्यता अवधि के दौरान अपनी निविदा व प्रस्ताव को परिवर्तित करता अथवा वापिस लेता है ।

ii) यदि निविदाकर्ता जारी कार्य आदेश को निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान नहीं करता है ।

iii) यदि निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर वाँछित धरोहर राशि जमा नहीं करवाता है ।

iv) यदि निविदाकर्ता प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर अनुबन्ध सम्पादित नहीं करता है ।

v) यदि यह कम्पनी द्वारा सुनिश्चित हो जाता है कि निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के समय अथवा बाद में निविदाकर्ता ने गलत सूचना व जाली दस्तावेज निविदा प्रपत्र में संलग्न किये हैं ।

vi) यदि कार्य आदेश जारी होने के पश्चात निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ नही किया जाता है।

6.0 **धरोहर राशि** :–

6.1 सफल निविदाकार धरोहर राशि को एक मुश्त/RA Bill (Running Account Bill) में कटौती अथवा एफडीआर, आरटीपीपी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत जमा करा सकता है। कम्पनी की निविदा शर्तों के अनुसार धरोहर राशि की दर कुल ठेका राशि की 10 प्रतिशत है।

6.2 सफल निविदाकर्ता किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं प्राईवेट सेक्टर बैंक के (अधिकृत सार्वजनिक एवं प्राईवेट बैंको की सुची परिशिष्ट–II पर देखें।) जयपुर में अपना शाखा कार्यालय होने से जारी कुल अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर एसडी को फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद एफडीआर से कर सकता है। एफडीआर आरएसएमएमएल के नाम पर सफल बोलीदाता के खाते में होगी और उसके द्वारा अग्रिम में दी जाएगी। फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद को स्वीकार करने से पहले, यह स्वीकार करना प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि सफल बोलीदाता, सफल बोलीदाता की सहमति के बिना कंपनी को मांग पर फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद का भुगतान / समय से पहले भुगतान करने के लिए बैंक से एक उपक्रम प्रस्तुत करता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त करने की स्थिति में, फिक्स्ड डिपॉजिट ठेकेदार/उसके द्वारा विरोध किए बिना ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज के साथ जब्त किया जाएगा।

6.3 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय सफल निविदाकर्ता, प्रत्येक बिल की राशि से 10 प्रतिशत धरोहर राशि के कटौती का विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामले में, सफल बोलीदाता की धरोहर राशि की राशि को कुल धरोहर राशि तक पहुंचने में समायोजित किया जा सकता है, या यदि सफल बोलीदाता धरोहर राशि की पूरी राशि जमा करता है, तो उसे वापस कर दिया जाएगा।

6.4 धरोहर राशि को अनुबंध अवधि के समाप्त होने के छः माह बाद लौटायी जायेगी लेकिन अनुबन्धकर्ता को अनुबंध से संबंधित उसके सारे दायित्व पूरे करने होंगे और कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र कंपनी को प्रस्तुत करना होगा।

6.5 कंपनी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह पूर्ण या आंशिकतौर पर धरोहर राशि को जब्त कर सकती है. तब जब अनुबन्धकर्ता या तो अनुबंध के अधीन अपने दायित्व पूरे नहीं करें या कंपनी से संबंधित सभी देयताओं को कंपनी को भुगतान करने में असफल हो।

6.6 अगर अनुबन्ध अवधि के दौरान किसी भी कारणवश धरोहर राशि कम पड़ती है तो अनुबंधकर्ता को अतिरिक्त धरोहर राशि जमा करानी पडेगी। कंपनी धरोहर राशि की पूर्ति अनुबंधकर्ता के मासिक बिलों में से भी कर सकती है।

6.7 धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6.8 **अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति.–** (1) **RTPP** नियम 75क में यथा विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति के अतिरिक्त, असंतुलित बोली के मामले में सफल बोली लगाने वालों से अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति भी ली जायेगी। अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति. असंतुलित बोली रकम के पचास प्रतिशत के बराबर होगी। अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति, करार के निष्पादन से पूर्व सफल बोली लगाने वाले द्वारा एकमुश्त जमा की जायेगी। अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति ई–ग्रास, मांगदेय ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, सरकारी प्रतिभूतियों या बैंक गारंटी या इलेक्ट्रानिक बैंक गारटी (ई–बीजी)) के माध्यम से जमा की जायेगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए–

(i) असंतुलित बोली से प्राकल्लित बोली मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से कम की कोई बोली अभिप्रेत है।

(ii) प्राकल्लित बोली मूल्य से उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेजों में उल्लिखित उपापन की विषय–वस्तु का मूल्य अभिप्रेत है।

(iii) असंतुलित बोली रकम से प्राकल्लित बोली मूल्य के पिच्चासी प्रतिशत में से बोली लगाने वाले के द्वारा उत्कथित बोली रकम घटाने पर प्राप्त अन्तर की रकम अभिप्रेत है ।

(परतु बीस करोड़ रुपये या अधिक लागत वाली और हाईटेक परियोजना के रूप में स्टेट ई–गवर्नेस मिशन टीम (एसईएमटी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान द्वारा अनुमोदित सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेस परियोजना से संबधित असतुलित बोली के मामले में, अतिरिक्त संपादन प्रतिभूति ली जानी अपेक्षित नहीं होगी ।)

(2) अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति, सम्पूर्ण कार्य के समाधानप्रद रूप से पूरा हो जाने के पश्चात् सविदाकार को प्रतिदत्त की जायेगी। यूदि संविदाकार द्वारा नियत समय के भीतर कार्य पूरा नहीं किया जाता है, तो उपापन सस्था द्वारा अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति समपहृत की जायेगी। असंतुलित बोली और अतिरिक्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति के लिए उपबंध, उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेज में उल्लिखित किये जायेंगे ।

7.0 <u>ई–निविदा प्रक्रियाः</u>

7.1 निविदाकर्ता अपनी निविदा राजस्थान सरकार की वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in पर ईलैक्ट्रोनिक माध्यम से ऑन–लाईन ही प्रस्तुत कर सकते हैं । अन्य किसी माध्यम से निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

7.2 निविदाकर्ता इस विषय की विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाईट पर दिये गये लिंक पर दी गई जानकारी से इस प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं ।

7.3 इच्छुक निविदाकर्ता को स्वयं को उपरोक्त ई–निविदा पोर्टल पर पंजिकृत कराना आवश्यक होगा **तत्पश्चात्** ही ई–निविदा को ऑन–लाईन भरने के लिए पात्र होंगे ।

7.4 इच्छुक निविदाकर्ता के पास ई–निविदा प्रक्रिया को सम्पादित करने के लिए भारत सरकार

के आई.टी. एक्ट–2000 के प्रावधानों के तहत **डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र होना आवश्यक है** एवं ई–निविदा के सभी दस्तावेज आदि निविदाकर्ता द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित करने होंगे । जिसके बगैर उपरोक्त निविदा प्रक्रिया स्वीकृत नहीं होगी ।

7.5 डाउनलोड किये गये ई–निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन, निविदाकर्ता द्वारा नहीं किया जावेगा एवं उल्लंघन की स्थिति में ऐसी निविदा को निरस्त माना जायेगा ।

7.6 निविदा का सम्पूर्ण विवरण एवं प्रपत्र उपरोक्त वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसको निविदाकर्ता द्वारा डाउन–लोड किया जावेगा ।

7.7 निविदाकर्ता द्वारा सभी संलग्न दस्तावेज तथा निविदा प्रपत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित, मोहरबन्द किये जाना आवश्यक है। उपरोक्त समस्त दस्तावेजों व निविदा प्रपत्र को डिजिटली हस्ताक्षरित कर संबंधित वेबसाईट पर ऑनलाईन अपलोड करना है।

7.8 अपलोड किये गये निविदा प्रपत्र ही निविदा प्रस्तुतिकरण के लिये मान्य होगा बशर्ते की निविदाकर्ता ने अपेक्षित ई–निविदा प्रपत्र शुल्क (आर.एस.एम.एम.एल., जयपुर के नाम देय) तथा ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क (एम.डी., आर.आई.एस.एल., जयपुर के नाम देय) एवं निर्धारित बयाना राशि (आर.एस.एम.एम.एल., जयपुर के नाम देय) जमा कराई है।

7.9 उपरोक्त दस्तावेजों के साथ में ई–निविदा प्रपत्र शुल्क, ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा बयाना राशि की स्केन कॉपी को भी अपने ई–निविदा प्रस्ताव के साथ अपलोड करना आवश्यक है । उपरोक्त तीनों शुल्कों के बारे में विवरण अथवा डी.डी. की स्केन कॉपी अपलोड न करने पर ई–निविदा मान्य नहीं होगी ।

7.10 निविदाकर्ता उपरोक्त तीनों शुल्क तथा निविदा प्रपत्र की पात्रता के अनुसार वांछित मूल पत्रों को समूहमहाप्रबन्धक (लिग्नाईट),, एसबीयू एवं पीसी – लिग्नाईट, जयपुर को नियत तिथि व समय पर या उससे पूर्व प्रेषित/प्रस्तुत करेगें । इन प्रपत्रों के ऊपर निविदाकर्ता अपना नाम, पता, टेलीफोन नम्बर तथा निविदा संख्या एवं कार्य का विवरण साफ–साफ अक्षरों में अंकित करेगा । निविदा प्रपत्र नियत समय पर प्रस्तुत न करने की अवस्था में या किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

7.11 ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क इस निविदा के लिये रूपये 500/– (रूपये पांच सौ मात्र) निर्धारित है जो कि एम.डी., आर.आई.एस.एल. के नाम डी.डी./बी.सी. के जरिये जयपुर में देय होगी । निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 1180/– तथा निर्धारित बयाना राशि ई–पेमेन्ट/डी.डी./बी.सी. द्वारा आर.एस.एम.एम.एल., जयपुर के पक्ष में देय है।

7.12 उपरोक्त विवरण इन्द्राज करने के पश्चात् निविदाकर्ता को उक्त राशियों के मूल डी.डी. /बी.सी./ई–पेमेन्ट जमा के बाबत् रेफरेन्स आई.डी., समूहमहाप्रबन्धक (लिग्नाईट), एसबीयू एवं पीसी– लिग्नाईट, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर के कार्यालय में निविदा में निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा निविदा प्रपत्र को निरस्त माना जावेगा ।

7.13 प्रबन्धन के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

8.0 **ई–निविदा प्रपत्र दो भागों में भरा जायेगा, जोकि निम्न प्रकार से हैं :–**

प्रथम भाग – तकनीकी वाणिज्यिक (Techno-commercial Part) - परिशिष्ट 'य'
द्वितीय भाग – कार्य की दरें (Rate Part / BOQ) - परिशिष्ट 'द'

8.1 **प्रथम भाग : तकनीकी वाणिज्यिक (Techno-commercial Part)**

i) निविदाकर्ताओं को परिशिष्ठ–(य) के अनुसार निम्न जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है:–

(अ) वांछित बयाना राशि का विवरण ।

(ब) नाम, पता, ई–मेल, टेलिफोन नं0, मोबाइल नं., फैक्स नं0 इत्यादि की जानकारी।

(स) फर्म की स्थिति में फर्म के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (प्रमाण पत्र) की सत्यापित फोटो प्रति एवं साझेदारी डीड की सत्यापित फोटो प्रति ।

(द) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित फोटो प्रति ।

(य) पेन कार्ड नम्बर की प्रमाणित फोटो प्रति ।

ii) नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी परिशिष्ट–(अ) में प्रस्तुत करना ।

iii) निविदा प्रपत्र में अतिरिक्त शर्तें नहीं होने, निविदाकर्ता को पूर्व में कम्पनी द्वारा निलम्बित न किये जाने व कम्पनी के साथ कोई भी लम्बित विवाद न होने हेतु अण्डरटेकिंग परिशिष्ट–(ब) के अनुसार देनी होगी ।

iv) राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम–1970 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्रधिकारी के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति ।

v) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्राधिकारी से जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति ।

vi) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम–1948 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्राधिकारी से जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति ।

vii) राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम–1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट–1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट–1956 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति ।

viii) गत तीन वर्षों (वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) की सी.ए. ऑडिट रिर्पोट्स की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियां समान प्रकृति के उच्च कुशल श्रेणी के श्रमिक उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित कार्य का अनुभव ।

ix) अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हों की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियां (यदि हों तो)।

x) निविदाकर्ता एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) के अन्तर्गत पंजिकृत हो तो परिशिष्ठ–(स) के अनुसार घोषणा।

xi) राजस्थान लोक उपानन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपानन नियम, 2013 में समय–समय पर जारी संशोधन भी लागू रहेंगे ।

xii) राजस्थान लोक उपानन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपानन नियम, 2013 की अनुपालना में निविदा प्रपत्र में निम्न परिशिष्ठ संलग्न किये हैः–

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.
Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications.
Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process and Form No.1
Annexure D: Additional Conditions of Contract.

xii) **राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.04.2018 में उल्लेखित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के संबंध में दिये गये दिशा निर्देश भी प्रभावशाली होंगे एवं परिपत्र दिनांक 30.04.2018 इस निविदा का भाग रहेगा ।**

नोट– **Annexure B** में निविदाकर्ता द्वारा घोषणा किया जाना आवश्यक है।

8.2 द्वितीय भाग – कार्य की दरें (Rate Part/BOQ)

कार्य की दरें ऑन–लाईन भरनी हैं । निविदाकर्ता अपनी प्रस्तावित दरें पोर्टल पर उपलब्ध ई–निविदा के BOQ फॉर्म में ही भरें ।

- **कार्य की दरें बिना जी.एस.टी. के भरनी है ।**
- कार्य की दरें ऑन–लाईन निविदा भरने का प्रोफॉर्मा परिशिष्ठ–(द) के अनुसार है। निविदाकर्ता इस परिशिष्ठ BOQ को वेबसाईट से डाउनलोड कर अपनी दर प्रस्ताव को भरने के पश्चात अपलोड करेंगे। **किसी भी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा दिये गये सैम्पल दर प्रस्ताव फोरमेट (जोकि मात्र निविदाकर्ता की जानकारी हेतु संलग्न किया गया है) में दर इंगित करना निषेध है, इस स्थिति में निविदा निरस्त मानी जावेगी।**
- निविदाकर्ता कार्य की दरें प्रथम भाग या किसी अन्य लिफाफे में या अन्य माध्यम से प्रस्तुत नहीं करें, ऐसे दर प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे तथा निविदाकर्ता यदि अपनी दरें

निविदा के किसी भाग में इंगित करता है तो इस अवस्था में इस निविदाकर्ता को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

- प्रथम तकनीकी–वाणिज्यिक भाग में सफल निविदाकारों को सूचीबद्ध किया जाएगा एवं मात्र सफल सूचीबद्ध निविदाओं का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से संबंधित) खोला जाएगा। सफल निविदाकारों को द्वितीय भाग खोलने की तिथि के बारे में अलग से अवगत करा दिया जाएगा ।

- ***The office memorandum of Ministry of Finance, GoI, New Delhi dated 28.01.2014 and guidelines of Ministry of Commerce, GoI, New Delhi dated 17.09.2014, the following shall be implemented by the tenderer who are participating in the tender:***

  "The bidder shall quote service charge as % (percentage) of minimum wages in the prescribed column of BOQ.

  "If a firm quotes Nil charges/consideration, the bid shall be treated as unresponsive and will not be considered."
  "The bidder necessarily has to quote over and above Zero percent service charge (zero percent includes all derivates of zero upto 0.9999) and any service charge not adhering to the Ministry of Commerce & Industry. Department of Commerce, GoI, New Delhi guidelines order no. 31/14/1000/2014-GA dated 17.09.2014 shall be considered unresponsive and such bid shall not be considered."

9.0 निविदाओं का मूल्यांकन एवं कार्य आदेशः

9.1 सफल निविदाकारों के दर प्रस्ताव का कम्पनी द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा। उचित दर पाये जाने पर न्यूनतम प्रस्ताव को कम्पनी द्वारा स्वीकार किया जायेगा, एक से अधिक निविदाकारों द्वारा समान न्युनतम दर प्राप्त होने पर कम्पनी द्वारा निम्नलिखित क्रम में निम्न श्रेणी के अनुसार दिया जायेगाः

i. केंद्रीय / राज्य के स्वामित्व वाले संगठन
ii. भूतपूर्व सैनिक कल्याण सोसाइटी
iii. एमएसएमईडी पंजीकृत फर्म (व्यक्तिगत / प्रोपराइटरशिप फर्म, साझेदारी फर्म, प्राइवेट लि कंपनी, पब्लिक लि कंपनी के क्रम में)।
iv. पंजीकृत सहकारी समिति
v. गैर MSMED पंजीकृत फर्में (व्यक्तिगत / प्रोपराइटर शिप फर्मों, साझेदारी फर्म, प्राइवेट लि। कंपनी, सार्वजनिक कंपनी के क्रम में)।

उपरोक्त श्रेणी के एक से अधिक निविदाकर्ता के होने पर, फिर पिछले वित्तीय वर्ष (2025–26) में अधिक टर्नओवर करने वाले बोलीदाता को कम्पनी द्वारा कार्यादेश दिया जायेगा। इस सन्दर्भ में कम्पनी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

9.1 ऐसे निविदाकार को कम्पनी द्वारा जारी कार्य आदेश को अपनी स्वीकृति सात (07) दिवस में लिखित में देनी होगी। साथ ही शर्त संख्या 4.1 के अनुसार सभी दस्तावेज कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

9.2 **कार्य आदेश के जारी होने या निर्धारित तिथि से कार्यारम्भ करना होगा। बयाना राशि का समायोजन करने के पश्चात निविदाकर्ता को बकाया धरोहर राशि डी.डी./बैंक गारण्टी के रूप में कार्य आदेश की स्वीकृति के पश्चात तीस (30) दिन के अन्दर जमा करानी होगी।**

9.3 सफल निविदाकर्ता को जारी कार्यादेश की स्वीकृति के पश्चात तीस (30) दिन में कम्पनी के साथ अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने होगें, जोकि इस निविदा की शर्तों, स्वीकृत दरों आदि पर आधारित होगा।

9.4 सफल निविदाकर्ता कार्यादेश जारी होने के पश्चात संविदाकार/संविदाकर्ता माना जावेगा।

9.5 संविदाकार द्वारा अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही कम्पनी द्वारा संविदाकर्ता के बिलों का भुगतान किया जायेगा। संविदाकर्ता द्वारा अनुबन्ध हेतु अपेक्षित मूल्य का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा तथा कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने होंगे। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर का मूल्य कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F.2(31)FD/Tax/2019-253 दिनांक 06.11.2020 के अनुसार होगा एवं समय–समय पर संशोधित परिपत्र भी लागू रहेंगे।

10.0 **नेगोशियेशन :–**

10.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L_1) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोशियेशन किया जा सकता है। न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम निविदा कर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमन्त्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर आफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_2) को तत्पश्चात् तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_3) को एवं दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा। जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार काउन्टर आफर स्वीकार करेगा उसे कार्य आदेश कम्पनी द्वारा जारी किया जा सकता है।

10.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोशियेशन के दौरान दिया हुआ प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा ।

10.3 नेगोशियेशन के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति/अधिकार पत्र (written authority) प्रस्तुत करना होगा जिसमे की यह स्पष्ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्ताव को संशोधित/बदलने के लिए प्राधिकृत है ।

11.0 <u>कर एवं दरें</u>

i) निविदाकर्ता को प्रस्तुत दरो मे वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax) सम्मिलित नहीं करना होगा अन्य सभी प्रकार की ड्यूटी शामिल करनी होगी जो की निविदा की अंतिम तिथि तक लागु हो । प्रस्तुत दरे कार्य अविधि के दौरान स्थिर रहेंगी एवं निविदा मे वर्णित शर्तो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की वृद्धि देय नहीं होगी ।

ii) वस्तु एवं सेवा कर का समय से भुगतान करना एवं टैक्स रिटर्न समय से जमा करवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कांट्रेक्टर की रहेगी । इसके तहत प्राप्त निर्धारित क्रेडिट RSMML को मिले यह सुनिश्चित करना भी कांट्रेक्टर का कार्य होगा।

iii) यदि किसी कारणवश RSMML को क्रेडिट नहीं मिलता है तो कंपनी कांट्रेक्टर को देय बिल / सिक्योरिटी डिपाजिट मे से यह क्रेडिट राशि कटौती करने के लिए स्वतंत्र रहेगी ।

iv) कार्य के लिए देय भुगतान के GST return भरने मे हुई गलती या देरी एवं Reversal of input tax credit (ITC) के कारण पेनेल्टी लगने की परिस्तिथी मे देय राशि का भुगतान ब्याज

सहित कांट्रेक्टर द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो कंपनी यह राशि कांट्रेक्टर को देय राशि मे से कटौती / समायोजित कर सकती है ।

v) निविदादाता को निविदा दर भरते समय सभी प्रकार के डयूटी एवं लेवीज, जो इस कार्य से संबंधित हो जोडकर भरनी होगी । इस विषय में अनभिज्ञता अगर निविदादाता द्वारा दर्शायी गयी, तो वह अतिरिक्त पेमेन्ट इस एवज में प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है।

vi) अगर निविदा भरने के बाद कर एवं डयूटी बढती है या घटती है या निरस्त हो जाती है या नयी इम्पोज की जाती है और जो अनुबंधित कार्य से संबंधित है तो आरएसएमएमएल अनुबंधकर्ता से कर एवं डयूटी की वसूली करेगा या अनुबंधकर्ता को इन करों एवं डयूटी की क्षतिपूर्ति करेगा लेकिन इसके लिए अनुबन्धकर्ता को कंपनी को इससे संबंधित दस्तावेज देने होंगे । कंपनी को आयकर या अन्य कर जो इस कार्य से संबंधित हो की कटौती करने का पूर्ण अधिकार है ।

12.0 <u>बिलों का भुगतानः</u>

12.1 संविदाकार को बिलों का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा ।

12.2 महीने का कार्य पूर्ण होने पर संविदाकार अगले माह के प्रथम सप्ताह में दो या अधिकतम 7 तारीख तक बिल दो (02) प्रतियों में कम्पनी के अधिकृत प्रयोगकर्ता द्वारा प्रमाणित करवा कर प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

12.3 साधारणतः मासिक बिल का भुगतान वैधानिक कटौतियाँ करने के बाद एवं बिल प्रस्तुत करने के पन्द्रह (15) दिन की अवधि के अन्दर अकाउन्ट–पेयी चैक के द्वारा कर दिया जाएगा ।

12.4 निर्धारित समयावधि तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर उसका भुगतान साधारणतया अगले माह में किया जायेगा ।

13.0 **कार्य में नियोजित कामगार :–**

13.1 निविदाकर्ता द्वारा इस कार्य हेतु नियोजित कामगारों की सूचना संलग्न **परिशिष्ट संख्या 'अ'** में कार्य आरम्भ करने से पूर्व कम्पनी द्वारा अधिकृत अधिकारी को लिखित रूप मे देनी होगी । कर्मकारों का पुलिस सत्यापन भी प्रस्तुत करना होगा ।

13.2 निविदाकर्ता द्वारा नियोजित कामगार योग्य, वयस्क, स्वस्थ विशेषतः चर्म रोग या ऐसी कोई संक्रमण वाली बीमारी से ग्रसित नहीं होने चाहिए । इस आशय का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी कार्य आरम्भ करने से पूर्व देना होगा । *कार्य के लिये उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिक/व्यक्ति का स्नातक होने के साथ कम्प्यूटर चलाने के साथ विंडोज ओ.एस. (Windows OS) एवं एम.एस. ऑफिस (MS Office) व इन्टरनेट ऑपरेशन (Internet Operation) की अच्छी जानकारी के साथ अंग्रेजी व हिन्दी में 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति भी होनी चाहिये ।*

13.3 सभी नियुक्त कामगार मृदुभाषी, कुशल, व्यवहारिक एवं अनुशासित व साफ सुथरी वर्दी में होना आवश्यक है ।

13.4 सामान्यतः कामगारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए परन्तु परिवर्तन करने पर उसकी सूचना **परिशिष्ट 'अ'** में देनी अनिवार्य होगी ।

13.5 यदि कोई भी कामगार अनुशासनहीनता या कम्पनी कार्य में दखलंदाजी या किसी प्रकार की हानि करते पाया गया तो निविदाकर्ता को ऐसे कामगार को तुरन्त हटाना होगा ।

13.6 नियुक्त कोई भी कामगार बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटका, शराब अथवा किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा । ऐसे पदार्थ का सेवन किये हुए/करते हुए पाये जाने पर ऐसे कामगार को तुरन्त हटाना होगा। इससे होने वाले समस्त नुकसान की भरपाई निविदाकर्ता के मासिक बिलों मे से की जाएगी ।

13.7 कामगारों को वेतन, भत्ता इत्यादि का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा देय होगा । वेतन भुगतान आदि से संबंधित समस्त रिकार्ड प्रतिमाह कम्पनी द्वारा अधिकृत अधिकारी से

सत्यापित कराने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी । अगर निविदाकर्ता अपने कामगारों का भुगतान नहीं करता है तो कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह निविदाकर्ता के मासिक बिलों अथवा अमानत राशि में से कटौती करके ऐसे कामगारों को देय मासिक वेतन का भुगतान अपने स्तर पर करें ।

14.0 **निविदाकर्ता के सामान्य दायित्व :–**

14.1 निविदाकर्ता पर नियोजित कामगारों का वेतन–भुगतान, सुरक्षा, अनुशासन इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी होगी एवं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कामगारों के कृत्यों के लिए निविदाकर्ता उत्तरदायी होगा ।

14.2 निविदाकर्ता अपने कार्य निष्पादन से सम्बन्धित सभी वैधानिक नियम व उप–नियमों की पालना करेगा । सभी नियम व उप नियम जो कि वर्तमान में लागू हैं एवं भविष्य में लागू किये जाऐं, की भी अनुपालना निविदाकर्ता द्वारा की जायेगी ।

14.3 निविदाकर्ता अपने कार्य निष्पादन से संबंधित सभी दायित्वों, देनदारियों जो कि कामगारों ओर कोई तृतीय पक्ष के मजदूर एवं नियोजित कामगारों को किसी भी नियम एवं उपनियम के तहत देय होगी से सम्बन्धित भुगतान करने के लिए स्वयं बाध्य होगा ।

14.4 सफल निविदाकर्ता कर्मचारियों से सम्बन्धित कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के अन्तर्गत दिये गये नियमों, उपनियमों समय समय पर किये गये संशोधनों का निर्वहन नहीं किये जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेगा ।

14.5 संविदा लागू होने की स्थिति में निविदाकर्ता को कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम और उसके अंतर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों और निविदाकर्ता द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने का दायित्व होगा । निविदाकर्ता ऐसे कर्मचारियों से उनका अंशदान वसूल करेगा और अपने अंशदान (भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी दर अनुसार अपने अंशदान की बराबर राशि) के साथ सीधे क्षेत्रिय भविष्य निधि कार्यालय अथवा कंपनी के पी.एफ.ट्रस्ट में जमा कराएगा । कम्पनी (आर.एस.एम.एम.एल.) के पी.एफ. ट्रस्ट में जमा कराये गये अंशदान पर कर्मचारी के वेतन (मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता) का 1.15 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क के रूप में कम्पनी द्वारा वसूला जावेगा । इस प्रशासनिक शुल्क में से 0.18 प्रतिशत के बराबर राशि कम्पनी द्वारा निरीक्षण शुल्क के रूप में क्षेत्रिय भविष्यनिधि कार्यालय में जमा कराई जावेगी । निविदाकर्ता के द्वारा चूक होने की स्थिति में कम्पनी को वह राशि निविदाकर्ता की ओर से जमा करानी होगी अतः निविदाकर्ता उस राशि का कम्पनी को पुनर्भरण के लिए बाध्य होगा । कंपनी निविदाकर्ता की ओर से किये गये ऐसे अंशदान की राशि के समायोजन के लिए अधिकृत होगी । निविदाकर्ता ऐसे रिकार्ड के रखरखाव और नियमों के अंतर्गत संबंधित अधिकृत अधिकारियों को नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य होगा । कंपनी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु मांगने पर ऐसे समस्त रिकार्ड एवं प्रतिवेदन को निविदाकर्ता उपलब्ध कराएगा । श्रमिकों से संबंधित समय समय पर समूह महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक और राज्य सरकार द्वारा बनाए गये नियमों/अधिनियमों जैसे श्रमिकों को वेतन का भुगतान, वेतन भुगतान अवधि, अनाधिकृत कटौतियाँ, वेतन बुक एवं पर्चियों, वेतन की सूचना का प्रकाशन और नियोजन की अन्य शर्तें, निरीक्षण एवं अवधिपरक प्रतिवेदनों का प्रेषण एवं अन्य संबंधित प्रावधानों की पूर्ण पालना करेगा ।

14.6 **क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.12.2017 एवं इसी संबंध में आर.एस.एम.एम.एल. के सचिव, भविष्य निधि द्वारा जारी प्रावधान भी लागू रहेंगे ।**

15.0 **निविदाकर्ता के विशेष दायित्व (राज्य सरकार के परिपत्र एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के अनुसार) :–**

(i) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केद्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

(ii) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) को प्रस्तुत की जायेगी।

(iii) संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का न्यूनतम अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था (आर. एस.एम.एम.एल.) की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

(iv) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

(v) श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) द्वारा संवेदक को बढ़ी न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(vi) संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक को अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी. एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जावेगा।

(vii) संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाऐगा।

(viii) राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

(ix) संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तुत एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तुत एवं सेवा कर (GST) के चालान / रिटर्न/ GSTR1 की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा

कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(x) श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

(xi) यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(xii) नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xiii) कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(xiv) यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

(xv) यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि का न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक को हेागा।

(xvi) संस्था (आर.एस.एम.एम.एल.) द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।

16.0 <u>स्थानीय कार्यालयः</u>

संविदाकार को अपना स्थानीय कार्यालय जिला मुख्यालय जयपुर में खोलना होगा तथा वहाँ पर किसी ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति करनी होगी जो कि संविदाकार की तरफ से निर्णय लेने में सक्षम हो । ऐसे कार्यालय व नियुक्त किये गए व्यक्ति की जानकारी संविदाकार को कंपनी में लिखित रूप से प्रस्तुत की जाना आवश्यक है तथा नियुक्त व्यक्ति को सामान्यतः कम्पनी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करना आवश्यक है।

17.0 <u>जुर्माना (Penalty)</u>

i. कार्य को निर्धारित अवधि मे शुरू नहीं कर पाने की दशा मे कंपनी द्वारा वार्षिक अनुबंध राशि का 0.5% राशि का जुर्माना साप्ताहिक लिया जायेगा यदि ये जुर्माना राशि 2% से ऊपर चली गयी तब कंपनी स्वविवेक से निविदा की शर्तो के अनुसार कार्यदेशो को निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर सकती है ।

ii. निविदाकर्ता को किसी कार्य दिवस पर ऑपरेटर उपलब्ध नहीं करवाने पर उस कार्यदिवस का भुगतान नहीं होगा इसके अतिरिक्त 500 रुपये प्रति ऑपरेटर प्रति दिवस के अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप मे लिया जायेगा । इस बाबत समुह महाप्रबंधक (लिग्नाईट) इन चार्ज द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बाध्य होगा ।

iii. यदि ऐसा पाया जाता है की ऑपरेटर द्वारा सम्बन्धित अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया कार्य का निस्पदान निविदा के अनुसार नहीं करा गया है तो कंपनी द्वारा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति राशि 500 रूपए प्रति दिन अतिरिक्त लिए जायेंगे।

iv. सन्तोषजनक कार्य न करने की स्थिति में/कार्य न करने की दशाओं में/कार्य में देरी करने की स्थिति में कम्पनी अपने अधिकार/विवेक/मर्जी से किसी और सेवाप्रदाता से उपरोक्त जुर्माने के अतिरिक्त, अनुबंधकर्ता के खर्चे एंव जोखिम पर कार्य करवाने का अधिकार रखती है एवं ऐसी स्थिति में कम्पनी अनुबंधकर्ता से अन्तर की राशि, जो कि अन्य सेवाप्रदाता उपलब्ध कराने में लगी है, को प्राप्त करने का अधिकार रखती है एंव अमानत राशि में से कटौती का अधिकार रखती है ।

v. जुर्माना देने से/कम्पनी द्वारा कटौती करने परिस्थिति में भी अनुबंधकर्ता को अनुबंध के दायित्वों से मुक्त नही हो सकेगा एंव अनुबंध के अनुसार ही कार्य करना पडेगा।

18.0 अप्रत्याशित घटना :

किसी भी समय, अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष (उप–विक्रेताओं को छोड़कर) औरध्या इस अनुबंध के तहत दायित्वों के पूर्ण या आंशिक प्रदर्शन को किसी भी युद्ध, सार्वजनिक शत्रु के शत्रुतापूर्ण कृत्यों, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, भगवान के कृत्यों या सरकार वैधानिक निकायों के कृत्यों के कारण गैर–प्रदर्शन (इसके बाद ''घटना'' के रूप में संदर्भित) के कारण रोका या विलंबित किया जाएगा। ऐसी किसी भी घटना के घटित होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से सात दिनों के भीतर दी जाती है, न तो ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा और न ही किसी भी पक्ष के पास ऐसे गैर–प्रदर्शन या प्रदर्शन में देरी के संबंध में दूसरे के खिलाफ क्षति का कोई दावा होगा और अनुबंध के तहत काम का प्रदर्शन ऐसी घटना के समाप्त होने या समाप्त होने के बाद जितनी जल्दी हो सके फिर से शुरू किया जाएगा और कंपनी का निर्णय होगा कि क्या काम का प्रदर्शन फिर से शुरू किया गया है। या नहीं यह अंतिम और निर्णायक होगा। बशर्ते कि यदि ऐसी किसी भी घटना के कारण पूर्ण या आंशिक प्रदर्शन में तीस दिन से अधिक की अवधि के लिए देरी होती है तो कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध समाप्त कर सकता है।

19.0 <u>संविदाकर्ता द्वारा अपील करना</u> :–

यदि सविदाकर्ता, स्थानीय प्रबन्धन द्वारा दिये गये निर्णय या कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं होता है तो Annexure-C के अनुसार वह प्रथम अपील अधिकारी प्रबन्ध निदेशक, आरएसएमएम लिमिटेड, 4, मीरा मार्ग, उदयपुर (राज.) है व द्वितीय अपील अधिकारी खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष अपना उपरोक्त प्रतिवेदन सलंग्न Form No.1 (see rule 83) - Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 में भरकर निर्धारित शुल्क देकर प्रस्तुत कर सकता है।

20.0 <u>न्याय क्षेत्र</u> :–

इस अनुबन्ध से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही रहेगा ।

21.0 <u>अनुबन्ध की समाप्ति</u> :–

अनुबन्ध को कम्पनी द्वारा एक माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। निविदाकर्ता द्वारा बिना नोटिस दिये यदि अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो, इस अनुबन्ध समाप्ति पर कम्पनी प्रबन्धन निविदाकर्ता की जोखिम व लागत पर इस कार्य को पूर्ण करवाने के लिए स्वतंत्र होगी और ऐसी किसी भी लागत को निविदाकर्ता के बकाया बिल, अमानत राशि में से समायोजन करने के लिए प्रबन्धन स्वतंत्र होगी । समायोजन के पश्चात् भी कोई राशि शेष वसूल की जानी है तब ऐसी राशि विधिक प्रक्रिया द्वारा निविदाकर्ता से वसूल की जावेगी।

<u>घोषणा</u>

मैंने/हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं। इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर स्वयं/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं । मैंने/हमने इस निविदा प्रपत्र के साथ किसी प्रकार की शर्त इत्यादि संलग्न नहीं है एवं ऐसी किसी शर्त के पाये जाने पर उसे वापस लिया माना जावे ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय सील एवं दिनांक
निविदाकर्ता का नाम ....
पता ....
....
टेलिफोन नम्बर ....

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू–पीसी लिग्नाईट,

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर –302005 (राज.)

ई–निविदा संख्याः एफ.6(1)81 / CC / 2026 / 36 दिनांकः 21.07.2026

निविदा / बोली की विशिष्ट शर्तें

1. बोलीदाता / संवेदक अपनी निविदा / बोली या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और नहीं किसी को आगे निविदा / बोली पर दे सकेगा।

2. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

3. बोलीदाता / सेवेदक / सेवा प्रदाता को किसी भी राज्य सरकार / केन्द्र सरकार / सरकारी प्रतिष्ठानों / निगमों / कॉरपोरेशनों / स्वायत्तशासी निकायों में कार्मिक उपलब्ध करवाने के अनुभव प्रमाण पत्र / आदेशों / अनुबन्ध की प्रतियां बोली के तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न / अपलोड करनी होगी।

4. निविदाकार के पास स्वंय के नाम अथवा फर्म के नाम का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। सक्षम प्राधिकारी / रजिस्ट्रार से पंजीकृत संस्थाओं द्वारा ही दी गई निविदा / बोली मान्य होगी । संस्था का स्वंय के नाम अथवा फर्म के नाम से बैंक में खाता होना आवश्यक है।

5. निविदा / बोली किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक साझेदार को अधिकृत किया जाने की स्थिति में पावर ऑफ अर्टोनी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निविदा / बोली स्वीकृति के बाद फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन फर्म के पूर्व के सदस्यों / साझेदारों के इस अनुबन्ध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबन्ध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नहीं करे, तब तक फर्म में कोई नया साझेदार सम्मिलित नहीं किया जावेगा। निविदाकार कम्पनी / सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही निविदा / बोली भरी जावेगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृति निविदा / बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

6. सफल सेवाप्रदाता / बोलीदाता / सेवेदक कार्मिकों को विभाग के अनुमोदन के बिना नहीं हटा सकेगा परन्तु आर.एस.एम.एम.एल. प्रशासन / सेवाप्रदाता / बोलीदाता / संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों को हटाने हेतु सक्षम हैं, परन्तु हटाये गये कार्मिक की जगह अन्य कार्मिक मांगने पर सेवाप्रदाता / बोलीदाता / संवेदक उपलब्ध करवाने हेतु बाध्यकारी होगा।

7. प्रत्येक कर्मकार को श्रम विभाग के अनुसार एक साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य रूप से देय होगा।

8. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मकार को देय मानदेय की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है उस वर्ग के लिए नियत मासिक मजदूरी की दर सप्ताह में एक अवकाश देते हुए उपस्थिति संख्या के आधार पर अधिकतम 26 दिवस का ही भूगतान किया

जायेगा जो मासिक मानदेय कहलायेगा। बिल एंव बिल के साथ समस्त संलग्नकों पर अनुबन्धित फर्म या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के ही हस्ताक्षर मय नाम एवं मोहर अंकित होना आवश्यक है। बिल पर अनुबन्धित फर्म या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर बिल पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

9. यदि अनुबन्धित फर्म एवं जोब बेसिस कार्य हेतु लगाये गये कर्मकारों के मध्य कोई विवाद होता है तो इसकी जिम्मेदारी अनुबन्धित फर्म की होगी। इसके लिए आर.एस.एम.एम. लिमिटेड उत्तरदायी नहीं होगा।

10. अनुबन्धित फर्म द्वारा जोब बेसिस कार्य हेतु लगाये कर्मकारों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरान्त मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की समस्त जिम्मेदारी वा दायित्व अनुबन्धित फर्म की होगी। इसके लिए आर.एस.एम.एम. लिमिटेड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

11. अनुबन्धित फर्म द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं करने या अनुबन्धित फर्म का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर पूर्ण धरोहर/प्रतिभूति राशि को जब्त करने का पूर्ण अथवा आंशिक अधिकार आर.एस.एम.एम. लिमिटेड को होगा।

12. प्रत्येक माह की 15 तारीख तक सभी कर्मकारों को बैंक खाते द्वारा भुगतान करना होगा। देरी से भुगतान की शिकायत प्राप्त होने पर बिल की कुल राशि की 5 प्रतिशत राशि आर.एस.एम.एम. लिमिटेड द्वारा शास्ति के रूप में काटी जा सकती है।

13. अनुबन्धित फर्म द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य में लगाये जाने वाले कर्मकारों की सूची उनके पासपोर्ट साईज फोटो सहित संबंधित जॉब कार्य के प्रभारी/नियंत्रक को कार्य प्रारम्भ करवाने से पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। इसके आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से अनुबन्धित फर्म जिम्मदार होगी। इन कर्मकारों के नियमित पुलिस वेरीफिकेशन कराने की जिम्मेदारी अनुबन्धित फर्म की होगी। अनुबन्धित फर्म के पास जिन कर्मकारों के नवीन पुलिस वेरीफिकेशन (निविदा/बोली जारी होने की दिनांक से पूर्व के दो माह तक के) हो उन्हीं कर्मकारों को कार्य पर उपलब्ध करायेगा। पुलिस वेरीफिकेशन की सूची में सत्यापित प्रतियां जॉब कार्य के प्रभारी/नियंत्रक द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी कार्मिक को विरूद्ध आपराधिक/न्यायिक मामला चल रहा है तो उस कार्मिक को अनुबन्धित फर्म आर.एस.एम.एम. लिमिटेड में उपलब्ध नहीं करायेगा।

14. अनुबन्धित फर्म द्वारा यदि संबंधित कम्प्यूटर ऑपरोटर कार्य के एक कार्य बिन्दु पर कार्य कम हुआ हो तो कर्मकार से अन्य कार्य बिन्दुओं पर सेवायें ली जा सकती हैं।

15. अनुबन्ध की अवधि के दौरान कर्मकारों के द्वारा किसी भी समय कितनी भी अवधि वं किसी भी कारण से कार्य का बहिष्कार किया जाता है या हड़ताल की जाती है तो यह अनुबन्धित फर्म द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कमी मानी जावेगी एवं शर्तों का उल्लघंन माना जाकर प्रत्येक ऐसे अवसर/घटना के लिए रूपये 5000/– तक की शास्ति लगाने का पूर्ण अधिकार आर.एस.एम.एम. लिमिटेड को होगा।

16. निविदाकार को देय भुगतान में से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्त्रोत पर कर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौति की जाकर भुगतान किया जावेगा। बोलीदाता/संवेदक के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा।

17. विवाद की स्थिति में आर.एस.एम.एम. लिमिटेड, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा व बोलीदाता/संवेदक को मान्य होगा।

18. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कम्प्यूटर के डेटा को सुरक्षित रखेगा तथा कम्प्यूटर को बदलने या हटाने की स्थिति में उक्त डेटा को विभाग को संभलवायेगा तथा कम्प्यूटर सिस्टम से डिलिट किया जायेगा।

19. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनायी रखनी होगी। बिना अनुमति डेटा का प्रकटीकरण नहीं करेगा। डेटा से छेड़छाड़/रद्दोबदल/धोखाधड़ी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जायेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

20. भारत सरकार द्वारा निम्न श्रम संहिताएँ अधिनियमित की गई हैं, जिसकी पालना निविदाकार द्वारा सुनिश्चित की जावें।
    - वेतन संहिता, 2019
    - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
    - व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020

21. यद्यपि उक्त संहिताएँ सभी राज्यों में पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई हैं, तथापि भविष्य में लागू होने वाली वैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निविदा में यह प्रावधान जोड़ा जाना उचित होगा कि ठेकेदार समय पर अधिसूचित सभी लागू श्रम संहिताओं एवं वैधानिक संशोधनों का पालन करने हेतु बाध्य होगा।

22. ठेकेदार एवं उसके द्वारा तैनात समस्त कार्मिक कंपनी के डेटा, अभिलेख, पासवर्ड क्रेडेंशियल्स (Credentials) एवं अन्य आधिकारिक सूचनाओं की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे। गोपनीयता भंग होने की स्थिति में अनुबंध समाप्ति, सुरक्षा राशि जब्ती, ब्लैकलिस्टिंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 सहित लागू विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

23. सभी विवादों का समाधान प्रारंभ में आपसी सहमति से किया जाएगा। यदि विवाद का समाधान नहीं हो पाता है, तो मामला मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता हेतु संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान जयपुर होगा तथा जयपुर स्थित न्यायालयों को विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

24. ठेकेदार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम (POSH Act) का पालन सुनिश्चित करेगा तथा तैनात कार्मिकों के आचरण हेतु पूर्णतः उत्तरदायी रहेगा।

25. ठेकेदार निम्न विषयों से उत्पन्न किसी भी दायित्व के विरुद्ध कंपनी को क्षतिपूर्ति (Indemnify) प्रदान करेगा ।

- श्रम संबंधी दावे
- पीएफ ईएसआई देयताएँ
- कर संबंधी दावे
- तृतीय पक्ष दायित्व
- डेटा उल्लंघन डेटा लीक

निविदा में लागू वेतन सम्बन्धित परिवर्तन श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर

जारी अधिसूचना द्वारा लागू होगा।

- श्रेणी (Category)
- लागू अधिसूचना (Notification)
- वेतन दर अनुसूची (Wage Schedule)
- परिवर्ती महँगाई भत्ता (VDA) की लागूता

संवेदक／निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
मय सील एवं दिनांक

परिशिष्ठ–'अ'

नियोजित कामगार के विवरण हेतु प्रपत्र

कर्मचारी का फोटो

1. नाम
2. पिता का नाम
3. आयु
4. वर्तमान पता
5. स्थाई पता
6. नामांकित व्यक्ति का नाम व पता
7. शैक्षणिक योग्यता
8 आधार संख्या
9. अनुभव
10. पद

कर्मचारी के हस्ताक्षर

दिनांकः

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व मोहर

दिनांक..............

Undertaking

I/We ……………………………………… in respect of submission of tender to the RSMM Ltd. hereby declare as under:-

1. We confirm that we have not put any other deviations to the tender terms & conditions.

2. We have not been banned/ debarred/ suspended by the RSMM Ltd. in past for any reason/default.

3. No Legal case is pending with RSMML.

Signature of tenderer

Name and seal of tenderer

Date:
Place:

परिशिष्ठ–'स'

(On the letter head of the tenderer)

DECLARATION

Declaration for Registration under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

1. Whether the tenderer is registered under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006.____________________(Yes/No).

2. If yes, please furnish the declaration given below.

   We (Name of Tenderer____), hereby declare that, our organization is registered under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 as _____________ (Micro, Small & Medium) Enterprises.

3. Enclose attested copy of registration certificate.

4. Whether the tenderer is also registered as S.S.I. units, if yes, enclose copy of registration certificate.

Signature of tenderer with stamp

Date:
Place:

परिशिष्ठ–'द'

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

ई–निविदा संख्याः एफ.6(1)81/CC/2026/36 दिनांकः 21.07.2026

द्वितीय भाग

दर प्रस्ताव (Rate Part-BOQ)

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को ऑन–लाईन BOQ में ही भरना होगा, निम्न प्रारूप मात्र सूचना हेतु दर्शाया गया है :–

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या (उच्च कुशल)	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह प्रति श्रमिक	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति श्रमिक दर	ई.पी.एफ. दर प्रतिशत	ई.एस.आई. दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज	कुल राशि
1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-
	कम्पनी के जयपुर स्थित कार्यालय में डाटा फीडिंग का कार्य करने हेतु श्रमिक ।	**13**	**9334**		**13%**	**3.25%**		

नोट :

1. उपर्युक्त तालिका में क्रम संख्या 1 से 4 एवं 6 व 7 की पूर्तियां संस्था द्वारा की गई है। बोलीदाता द्वारा स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में ही समुचित प्रविष्टियां की जानी हैं।
2. संवेदक द्वारा BOQ में ही ऑन–लाईन प्रविष्टियां की जा सकेंगी ।
3. अंकों व शब्दों में लिखी गई दर में विरोधाभास होने पर शब्दों में लिखी गई दरें ही मान्य होगी ।
4. उपरोक्त दर में **जी.एस.टी. को शामिल नहीं किया गया है। जी.एस.टी. नियमानुसार देय होगा ।**
5. उपरोक्त कार्य के लिये मासिक आधार पर प्राप्त दर प्रस्ताव ही मूलतः न्यूनतम दर का प्रस्ताव माना जाएगा।
6. उपरोक्त दरों से अतिरिक्त कहीं भी दर प्रस्ताव संबंधित अंश आदि निविदा प्रस्ताव में इंगित नहीं किया गया है।

निविदाकार के हस्ताक्षर ––––––––––––––––––––––

निविदाकार का नाम व पद ––––––––––––––––––––––

पता ....

टेलिफोन नं0 ––––––––––––––––––

दिनांक ––––––––––––––––

परिशिष्ठ–'य'

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू–पीसी लिग्नाईट

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

ई–निविदा संख्याः एफ.6(1)81/CC/2026/36 दिनांकः 21.07.2026

प्रथम भाग

तकनीकी एवं वाणिज्यिक

निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना चाहिए ।

क. सं.	विवरण	निविदाकर्ता स्वयं भरें
1.	वाँछित बयाना राशि ।	
2.	निविदाकर्ता का नाम, पिता का नाम वर्तमान एवं स्थाई पता एवं टेलिफोन/ मोबाईल/ फैक्स/ ई–मेल इत्यादि ।	
3.	फर्म की स्थिति में फर्म का नाम, पंजियन संख्या एवं यदि साझेदारी है तो डीड की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें ।	
4.	संविदाकर्ता को एमएसएमईडी रजिस्ट्रेशन (MSMED Act 2006) के लिये ।	हाँ/नहीं
5.	राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम–1970 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्रधिकारी के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस प्रमाण पत्र ।	हाँ/नहीं
6.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम–1952 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्रधिकारी के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस प्रमाण पत्र ।	हाँ/नहीं
7.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम–1948 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्रधिकारी के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस प्रमाण पत्र ।	हाँ/नहीं
8.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम–1958/इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट–1932/ इण्डियन कम्पनी एक्ट–1956 के अन्तर्गत जारी सक्षम प्रधिकारी के रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस प्रमाण पत्र ।	हाँ/नहीं
9.	गत तीन वर्षो (वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) की सी.ए. ऑडिट रिर्पोट्स की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियां समान प्रकृति के उच्च कुशल श्रेणी के श्रमिक उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित कार्य का अनुभव ।	हाँ/नहीं
10.	जो निविदाकर्ता/व्यवसायी/वास्तविक अधिकारी/संस्थान का साझेदार/किसी सहकारी समिति का सदस्य/ संस्थान का कोई निदेशक जो कि आर.एस.एम.एम.एल. का लिग्नाईट खरीददार या खरीददार का मध्यस्थ/सम्पर्क अधिकारी/आर.एस.एम.एम.एल. के लिग्नाईट का परिवहन प्रतिनिधि हो तो ऐसे निविदाकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार की निविदा प्राप्त होने पर वे निरस्त कर दी जायेंगी ।	हाँ/नहीं
11.	जी.एस.टी. नं. की प्रति ।	हाँ/नहीं
12.	पेन (PAN) नं. की प्रति ।	हाँ/नहीं
13.	RTPP Act 2012 के अनुसार Annexure-B में निविदाकर्ता द्वारा घोषणा ।	हाँ/नहीं
14.	यदि निविदा प्रपत्र को वेब–साईट से डाउन–लोड किया है तो निविदा प्रपत्र के शुल्क का विवरण ।	डी.डी. नं. .... रू. .... दिनांक ....

दिनांक :

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

संलग्न :–

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
(g) disclose conflict of interest, if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.
A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ……………………. for procurement of ………………………. in response to their Notice Inviting Bids No. ……………… ……. Dated ………….. I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date

Place

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Grievance Redressal during Procurement Process.

The designation and address of the First Appellate Authority is –

Principal Secretary
Mines Department,
Government of Rajasthan, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

Principal Secretary
Finance Department,
Government of Rajasthan, Jaipur

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procumbent;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1
(see rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ………………. of …………………………….
Before the …………………………….(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:

    (i) Name of the appellant:

    (ii) Official address, if any:

    (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

    (i)
    (ii)
    (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal : ……………………………………………………………………………….
    ………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………..(Supported by an affidavit)

7. Prayer: …………………………………………………………………………….
    ………………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………..

    Place …………………………..
    Date …………………………..
    Appellant's Signature

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

* * * * *

राजस्थान सरकार

वित्त (G&T) विभाग

क्रमांकः एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक 30/04/2018

संख्या ..1../2018

परिपत्र

विषयः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश बाबत।

संदर्भः– एकलपीठ याचिका संख्या 372/2013 अनोख बाई व 1 अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2016

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि कतिपय मामलों में उपापन संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित करने के पूर्ण प्रयास नहीं किए जाते हैं कि श्रम नियोजित श्रमिकों को नियमानुसार देय न्यूनतम मजदूरी नियमित रूप से प्राप्त होती रहे, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों में श्रम नियोजित श्रमिकों के शोषण की संभावना बनी रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा सन्दर्भित निर्णय में इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए हैं।

माननीय न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय की पालना में समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्द्वारा यह निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार की विभिन्न उपापन संस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं एवं संकर्मों के संपादन में कार्यरत मानव संसाधन को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों की पूर्ण पालना की जानी अनिवार्य है तथा उपापन संस्था द्वारा विभिन्न सेवाओं के संपादन में आवश्यकतानुसार मानव संसाधन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों में प्रावधित उपापन की विभिन्न रीतियों में से उपयुक्त रीति का चयन करते हुए किया जाएगा परन्तु प्लेसमेन्ट ऐजेन्सीज के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नहीं किया जाएगा।

उपापन संस्था द्वारा उक्तानुसार विभिन्न सेवाओं के संपादन में कार्यरत मानव संसाधन की उपापन प्रक्रिया हेतु बोली दस्तावेजों में अन्य आवश्यक बिन्दुओं के साथ–साथ निम्नांकित विशिष्ट बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से समावेश किया जायेगा–

(i) बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :–

1/6

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

(ii) जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगीः–

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	राशि					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		1. अकुशल 2. अर्द्ध कुशल 3. कुशल 4. उच्च कुशल								

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेंगी तथा केवल स्तंम्भ संख्या 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जा सकेंगी)

(iii) संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगीः–

2/6

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	.3	4	5	6	7	8	9
		1. अकुशल– 2. अर्द्ध कुशल– 3. कुशल– 4. उच्च कुशल–						

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1–4, 6 व 7 की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेगी)

(iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(v) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

(vi) यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्रवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

(vii) संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

(viii) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

3/6

(ix) श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(x) संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

(xi) संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

(xii) राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

(xiii) संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xiv) श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।

(xv) यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

4/6

(xvi) नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xvii) कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(xviii) यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

(xix) यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(xix) उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अध्यधीन अन्य आवश्यक शर्तों के साथ–साथ उक्तानुसार शर्तों को बोली दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना सुनिश्चित करें ताकि श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना की जा सके। उक्तानुसार शर्त संख्या (iii) से (xix) का समावेश सफल बोलीदाता/संवेदक से किए जाने वाले अनुबन्ध में अनिवार्य रूप से किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता को राज्य सरकार द्वारा अत्यन्त गंभीरता से लिया जायेगा।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव,
वित्त (बजट)

5/6

Annexure-1

PROFORMA OF GUARANTEE BOND FOR SECURITY DEPOSIT

(To be issued by a Public Sector (SBI/ICICI/HDFC/AXIS Bank) having its Branch office at Jaipur on the non-judicial stamp paper of value equal to zero point twenty five percent (0.25%) of the total Security Deposit Amount subject to maximum of Rs. .... or as applicable at the time of submission of BG.

B.G______________________________ Dated ____________________________

Contact details of BG issuing Banker :

- Postal Address:-
- Telephone Nos.:-
- Fax No.:-
- e-mail Address:-
- Contact person e-mail:-

Contact details of Banker's local branch at Jaipur :

- Postal Address:-
- Telephone Nos.:-
- Fax No.:-
- e-mail Address:-
- Contact person e-mail:-

This Deed of Guarantee executed between ____________________________ a Nationalised / Scheduled Bank, having its registered office at **(mention complete postal address with contact nos./mail address etc.)**__________ and its head office at **(mention complete postal address with contact nos./mail address etc.)**_____________________________ and wherever the context so required include its successors and assignees (hereinafter called the Surety/Bank) AND Rajasthan State Mines and Minerals Limited, a company incorporated and registered under Indian companies Act, 1956, having its Registered Office at C-89-90, Lal Kothi Scheme, Janpath, Jaipur (Raj.) and Corporate Office at 4, Meera Marg, Udaipur (Raj.) and wherever its context so required includes its successors and assignees(hereinafter called 'the company').

Whereas the Company having agreed to exempt M/s. ________________ a company/partnership firm __________________ (address of registered/H.O.) where ever the context so require includes its successors and assignees (hereinafter called 'the Contractor/supplier/RC holder') from the demand under the terms and conditions of Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract no. ______________ dated _________________ issued in favour of the Contractor/supplier/RC holder, hereinafter called 'the said 'Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract' which expression shall also include any amendment, modification or variations thereof made in accordance with the provision thereof, of cash security deposit for the due fulfilment by the said Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract on production of unconditional and irrevocable Bank Guarantee for Rs. _________(Rs. _______________________) being equivalent to ________________% of Contract value of Rs. __________________.

Now this deed witnessed that in consideration of said bank having agreed on the request of the Contractor/supplier/RC holder to stand as surety for payment of Rs. ___________________ as security deposit to the company subject to the following conditions.
We, _____________________(Bank) do hereby undertake to pay to the company as amount not exceeding Rs. _______________ against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the company by reason of any breach by the said contractor/supplier/RC holder of any of the terms and/or conditions contained in the Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract. The decision of the Company, as to any such breach having been committed and loss/damage suffered to shall be absolute and binding on us.

We,_________________ (bank) do hereby undertake without any reference to the Contractor/supplier/RC holder or any other person and irrespective of the fact whether any dispute is pending between the Company and the Contractor/supplier/RC holder before any court or tribunal or Arbitrator relating thereto, to pay the amount due and payable under this guarantee without any demur, and/or protest merely on the very first demand from the Company stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or suffered by or would be caused to or suffered by the Company by reason of any breach by the said contractor/supplier/RC holder of any of the terms and conditions contained in the said Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract by reason of the said contractor's/supplier's/RC holder's failure to perform the covenants contained in said Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract. Any such demand made on the bank shall be conclusive, absolute and unequivocal as regards the amount due and payable by the bank under this guarantee. However, bank's liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. __________________.

We, __________________(bank) further agree that the guarantee herein above contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the company under or by virtue of the contract have been fully paid and its claim/s satisfied or discharged or till the company certifies that the terms and the conditions of the said Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract have been fully and properly carried out by the said contractor/supplier/RC holder and accordingly discharges the guarantee, unless a demand or claim under this guarantee is made on the bank in writing on or before____________(scheduled completion date, plus six months or period which is required), the bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter unless otherwise further extended by the bank.

In order to give full effect to the guarantee herein contained the company shall be entitled to act as if, we(bank) are your principal debtor in respect of all your claims against the Contractor/supplier/RC holder hereby guaranteed by us as aforesaid and we hereby expressly waive all our rights of surety-ship and other rights, if any which are in any way inconsistent and/or contrary to the above or any other provision of this guarantee, the bank's guarantee to pay hereunder will not be determined or affected by your proceeding against the Contractor/supplier/RC holder and the bank will be liable to pay the said sum as and when demanded by you merely on first demand being made on the bank by you and even before any legal or other proceedings taken against the

contractor/supplier/RC holder. Any letter of demand delivered at the bank's above branch/divisional office or Jaipur branch office ____
____(specify the name & address) under the signatures of the company's Financial Advisor/ Group General Manager/ General Manager or any of the Directors shall deemed to be sufficient demand under this guarantee.

We, ___________________(bank) further agree that the company shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligation hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract or to extend time of performance by the said Contractor/supplier/RC holder from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Company against the said Contractor/supplier/RC holder and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the Letter of Acceptance/ Purchase Order/ Rate Contract and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation or extension being granted to the said contractor/supplier/RC holder or for any fore bearance act, or omissions on the part of the company or any indulgence of the Company to the said Contractor/supplier/RC holder or by any such matter or things whatsoever which under the law relating to the sureties would but for this provisions have effect of so relieving us.

This guarantee herein contained would come into force from the date of issue and would not be affected by any change in the constitution of the contractor/supplier/RC holder or ourselves or liquidation or winding up or dissolution or insolvency of the contractor/supplier/RC holder nor shall it be affected by any change in company's constitution or by any amalgamation or any absorption thereof or therewith but shall ensure for and be available to and enforceable by absorbing or amalgamated company or concern till the payment or amount not exceeding Rs. ___________________ is made by the Bank.

The guarantee will not be discharged or affected if the Company holds/obtain any other security/guarantee/promissory note from any person and/or the contractor/supplier/RC holder and this guarantee shall be in addition to any such guarantees.

We,___________________(Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee during this currency except with the previous consent of the company in writing.

The bank has power to issue this guarantee in favour of the Company and the undersigned has full powers to do so under power of Attorney dated ________________ granted to him by the bank.

For the purpose of enforcing legal rights in respect of this guarantee Jaipur courts in the state of Rajasthan alone shall have jurisdiction.

IN WITNESSETH I, HEREBY ___________________ SON OF _____________(designation)__________ the state of ___________________executed at ______________ this the _________________ day of ______________2026.

- - - - - - - - -

Annexure II

Public Sector Banks & Private Sector banks as per schedule II of the Reserve Bank of India Act, 1954

List of Scheduled Public Sector Banks

S.No.	Name of the Bank
1	Bank of Baroda
2	Bank of India
3	Bank of Maharashtra
4	Canara Bank
s	Central Bank of India
6	Indian Bank
7	Indian Overseas Bank
0	Punjab fi Sind Bank
9	Punjab National Bank
10	UCO Bank
11	Union Bank of India
12	State Bank of India

List of Scheduled Private Sector Banks

S.No.	Name of the Bank
1	Axis Bank Limited
2	Bandhan Bank Limited
3	CSB Bank Limited
4	City Union Bank Limited
5	DCB Bank Limited
6	Dhan Laxmi Bank Limited
7	Federal Bank Limited
8	HDFC Bank Limited
9	ICICI Dank Limited
10	Induslnd Bank Limited
11	IDFC FIRST Bank Limited
12	Jammu Kashmir Bank Limited
13	Karnataka Bank Limited
14	Karur Vysya Bank Lirriited
15	Kotak Mahindra Bank Limited
16	Nainital Bank Limited
17	RBL Bank Limited
18	South Indian Bank Limited
19	Tamilnad Mercantile Bank Limited
20	YES Barth Limited
21	IDBI Bank Limited
22	AU Small Finance Bank